

—:प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट:—

जनपद की 02 ग्राम पंचायतों में मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1746/2023-5/67/69/2023-SBM दिनांक 22 नवम्बर, 2023 के द्वारा निर्गत क्रेडिट लिमिट के माध्यम से प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट का निर्माण कराया जा चुका है। प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट का संचालन एवं रख-रखाव मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1746/2023-5/67/69/2023-SBM दिनांक 22 नवम्बर, 2023 में दी व्यवस्था के अनुरूप सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा चयनित स्वयं सहायता समूह को हैण्डओवर करते हुए समूह के केयर टेकर के माध्यम से प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट का संचालन एवं रख-रखाव कराया जाना प्रस्तावित है।

—:ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:—

जनपद की ग्राम पंचायतों में निर्मित कुल-765 आर०आर०सी० के संचालन का कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जा रहा है। आर०आर०सी० के संचालन हेतु तैनात मैनुपावर को प्रतिमाह मु०-6000/- की दर से ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

—:गोबरधन:—

जनपद की 02 ग्राम पंचायतों में मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1061/2022-5/25/2018 दिनांक 19 सितम्बर, 2022 के द्वारा गोबरधन योजनान्तर्गत बायोगैस प्लान्ट निर्माण हेतु सिद्धू बायोटेक के माध्यम से 45 घन मीटर की क्षमता का बायोगैस संयंत्र निर्मित हैं। बायोगैस संयंत्र का संचालन एवं रख-रखाव मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1061/2022-5/25/2018 दिनांक 19 सितम्बर, 2022 में दी व्यवस्था के अनुरूप सम्बन्धित इम्पैलनमेंट संस्था के माध्यम से निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि हेतु कराया जा रहा है। उक्त अवधि के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा चयनित स्वयं सहायता समूह को हैण्डओवर करते हुए समूह के केयर टेकर के माध्यम से बायोगैस संयंत्र का संचालन एवं रख-रखाव कराया जाना प्रस्तावित है।

—:फीकल स्लज प्रबंधन:—

जनपद की 1041 ग्राम पंचायतों में कुल—51344 सपिटक टैंक निर्मित है, जिसमें 40677 लीचपिट के साथ निर्मित है, बिना लीचपिट के 10578 सपिटक टैंक निर्मित है, सपिटक टैंकों को निर्धारित समयान्तराल पर खाली करने हेतु जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डि—स्लजर वेण्डर का चिन्हांन किया गया है। जनपद नगर पालिका परिषद का 01 ही एस०टी०पी०/एफ०एस०टी०पी० उपलब्ध है, जिसके कारण अन्य सपिटक टैंकों से निकलने वाले फीकल स्लज के प्रबंधन हेतु चिन्हित ग्राम पंचायतों में **Trenching** का कार्य कराया गया है।

—:सामुदायिक शौचालय:—

जनपद की 1041 ग्राम पंचायतों में निर्मित कुल-1041 सामुदायिक शौचालय निर्मित है, जिसे महिला स्वयं सहायता समूह की केयरटेकर द्वारा संचालित किया जा रहा है, संचालन एवं रख-रखाव हेतु प्रति सामुदायिक शौचालय 90000 रु०/वर्ष की धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा दी जा रही है।

—:ग्रे—वाटर प्रबंधन:—

जनपद की 1041 ग्राम पंचायतों में ग्रे—वाटर प्रबंधन हेतु सामुदायिक सोक्ता गड्ढा/व्यक्तिगत सोक्ता गड्ढा एवं नालियों (खुलीनाली/भूमिगत नाली) तथा फिल्टर चैम्बर, सिल्ट केचर, डब्लू0एस0पी0 के माध्यम से कराया जा रहा है।

—:प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट:—

जनपद की 02 ग्राम पंचायतों में मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1746/2023-5/67/69/2023-SBM दिनांक 22 नवम्बर, 2023 के द्वारा निर्गत क्रेडिट लिमिट के माध्यम से प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट का निर्माण कराया जा चुका है। प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट का संचालन एवं रख-रखाव मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1746/2023-5/67/69/2023-SBM दिनांक 22 नवम्बर, 2023 में दी व्यवस्था के अनुरूप सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा चयनित स्वयं सहायता समूह को हैण्डओवर करते हुए समूह के केयर टेकर के माध्यम से प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट का संचालन एवं रख-रखाव कराया जाना प्रस्तावित है।

—:ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:—

जनपद की ग्राम पंचायतों में निर्मित कुल-765 आर०आर०सी० के संचालन का कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जा रहा है। आर०आर०सी० के संचालन हेतु तैनात मैनुपावर को प्रतिमाह मु०-6000/- की दर से ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

—:गोबरधन:—

जनपद की 02 ग्राम पंचायतों में मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1061/2022-5/25/2018 दिनांक 19 सितम्बर, 2022 के द्वारा गोबरधन योजनान्तर्गत बायोगैस प्लान्ट निर्माण हेतु सिद्धू बायोटेक के माध्यम से 45 घन मीटर की क्षमता का बायोगैस संयंत्र निर्मित हैं। बायोगैस संयंत्र का संचालन एवं रख-रखाव मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1061/2022-5/25/2018 दिनांक 19 सितम्बर, 2022 में दी व्यवस्था के अनुरूप सम्बन्धित इम्पैलनमेंट संस्था के माध्यम से निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि हेतु कराया जा रहा हैं। उक्त अवधि के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा चयनित स्वयं सहायता समूह को हैण्डओवर करते हुए समूह के केयर टेकर के माध्यम से बायोगैस संयंत्र का संचालन एवं रख-रखाव कराया जाना प्रस्तावित है।

—:फीकल स्लज प्रबंधन:—

जनपद की 1041 ग्राम पंचायतों में कुल—51344 सपिटक टैंक निर्मित है, जिसमें 40677 लीचपिट के साथ निर्मित है, बिना लीचपिट के 10578 सपिटक टैंक निर्मित है, सपिटक टैंकों को निर्धारित समयान्तराल पर खाली करने हेतु जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डि—स्लजर वेण्डर का चिन्हांन किया गया है। जनपद नगर पालिका परिषद का 01 ही एस०टी०पी०/एफ०एस०टी०पी० उपलब्ध है, जिसके कारण अन्य सपिटक टैंकों से निकलने वाले फीकल स्लज के प्रबंधन हेतु चिन्हित ग्राम पंचायतों में **Trenching** का कार्य कराया गया है।

—:सामुदायिक शौचालय:—

जनपद की 1041 ग्राम पंचायतों में निर्मित कुल—1041 सामुदायिक शौचालय निर्मित है, जिसे महिला स्वयं सहायता समूह की केयरटेकर द्वारा संचालित किया जा रहा है, संचालन एवं रख-रखाव हेतु प्रति सामुदायिक शौचालय 90000 रु०/वर्ष की धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा दी जा रही है।

—:ग्रे—वाटर प्रबंधन:—

जनपद की 1041 ग्राम पंचायतों में ग्रे—वाटर प्रबंधन हेतु सामुदायिक सोक्ता गड्ढा/व्यक्तिगत सोक्ता गड्ढा एवं नालियों (खुलीनाली/भूमिगत नाली) तथा फिल्टर चैम्बर, सिल्ट केचर, डब्लू0एस0पी0 के माध्यम से कराया जा रहा है।

—:प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट:—

जनपद की 02 ग्राम पंचायतों में मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1746/2023-5/67/69/2023-SBM दिनांक 22 नवम्बर, 2023 के द्वारा निर्गत क्रेडिट लिमिट के माध्यम से प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट का निर्माण कराया जा चुका है। प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट का संचालन एवं रख-रखाव मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1746/2023-5/67/69/2023-SBM दिनांक 22 नवम्बर, 2023 में दी व्यवस्था के अनुरूप सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा चयनित स्वयं सहायता समूह को हैण्डओवर करते हुए समूह के केयर टेकर के माध्यम से प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट का संचालन एवं रख-रखाव कराया जाना प्रस्तावित है।

—:ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:—

जनपद की ग्राम पंचायतों में निर्मित कुल-765 आर०आर०सी० के संचालन का कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जा रहा है। आर०आर०सी० के संचालन हेतु तैनात मैनुपावर को प्रतिमाह मु०-6000/- की दर से ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

—:गोबरधन:—

जनपद की 02 ग्राम पंचायतों में मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1061/2022-5/25/2018 दिनांक 19 सितम्बर, 2022 के द्वारा गोबरधन योजनान्तर्गत बायोगैस प्लान्ट निर्माण हेतु सिद्धू बायोटेक के माध्यम से 45 घन मीटर की क्षमता का बायोगैस संयंत्र निर्मित हैं। बायोगैस संयंत्र का संचालन एवं रख-रखाव मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1061/2022-5/25/2018 दिनांक 19 सितम्बर, 2022 में दी व्यवस्था के अनुरूप सम्बन्धित इम्पैलनमेंट संस्था के माध्यम से निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि हेतु कराया जा रहा है। उक्त अवधि के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा चयनित स्वयं सहायता समूह को हैण्डओवर करते हुए समूह के केयर टेकर के माध्यम से बायोगैस संयंत्र का संचालन एवं रख-रखाव कराया जाना प्रस्तावित है।

—:फीकल स्लज प्रबंधन:—

जनपद की 1041 ग्राम पंचायतों में कुल—51344 सपिटक टैंक निर्मित है, जिसमें 40677 लीचपिट के साथ निर्मित है, बिना लीचपिट के 10578 सपिटक टैंक निर्मित है, सपिटक टैंकों को निर्धारित समयान्तराल पर खाली करने हेतु जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डि—स्लजर वेण्डर का चिन्हांन किया गया है। जनपद नगर पालिका परिषद का 01 ही एस०टी०पी०/एफ०एस०टी०पी० उपलब्ध है, जिसके कारण अन्य सपिटक टैंकों से निकलने वाले फीकल स्लज के प्रबंधन हेतु चिन्हित ग्राम पंचायतों में **Trenching** का कार्य कराया गया है।

—:सामुदायिक शौचालय:—

जनपद की 1041 ग्राम पंचायतों में निर्मित कुल—1041 सामुदायिक शौचालय निर्मित है, जिसे महिला स्वयं सहायता समूह की केयरटेकर द्वारा संचालित किया जा रहा है, संचालन एवं रख-रखाव हेतु प्रति सामुदायिक शौचालय 90000 रु०/वर्ष की धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा दी जा रही है।

—:ग्रे—वाटर प्रबंधन:—

जनपद की 1041 ग्राम पंचायतों में ग्रे—वाटर प्रबंधन हेतु सामुदायिक सोक्ता गड्ढा/व्यक्तिगत सोक्ता गड्ढा एवं नालियों (खुलीनाली/भूमिगत नाली) तथा फिल्टर चैम्बर, सिल्ट केचर, डब्लू0एस0पी0 के माध्यम से कराया जा रहा है।

—:प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट:—

जनपद की 02 ग्राम पंचायतों में मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1746/2023-5/67/69/2023-SBM दिनांक 22 नवम्बर, 2023 के द्वारा निर्गत क्रेडिट लिमिट के माध्यम से प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट का निर्माण कराया जा चुका है। प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट का संचालन एवं रख-रखाव मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1746/2023-5/67/69/2023-SBM दिनांक 22 नवम्बर, 2023 में दी व्यवस्था के अनुरूप सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा चयनित स्वयं सहायता समूह को हैण्डओवर करते हुए समूह के केयर टेकर के माध्यम से प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट का संचालन एवं रख-रखाव कराया जाना प्रस्तावित है।

—:ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:—

जनपद की ग्राम पंचायतों में निर्मित कुल-765 आर०आर०सी० के संचालन का कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जा रहा है। आर०आर०सी० के संचालन हेतु तैनात मैनुपावर को प्रतिमाह मु०-6000/- की दर से ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

—:गोबरधन:—

जनपद की 02 ग्राम पंचायतों में मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1061/2022-5/25/2018 दिनांक 19 सितम्बर, 2022 के द्वारा गोबरधन योजनान्तर्गत बायोगैस प्लान्ट निर्माण हेतु सिद्धू बायोटेक के माध्यम से 45 घन मीटर की क्षमता का बायोगैस संयंत्र निर्मित हैं। बायोगैस संयंत्र का संचालन एवं रख-रखाव मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1061/2022-5/25/2018 दिनांक 19 सितम्बर, 2022 में दी व्यवस्था के अनुरूप सम्बन्धित इम्पैलनमेंट संस्था के माध्यम से निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि हेतु कराया जा रहा हैं। उक्त अवधि के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा चयनित स्वयं सहायता समूह को हैण्डओवर करते हुए समूह के केयर टेकर के माध्यम से बायोगैस संयंत्र का संचालन एवं रख-रखाव कराया जाना प्रस्तावित है।

—:फीकल स्लज प्रबंधन:—

जनपद की 1041 ग्राम पंचायतों में कुल—51344 सपिटक टैंक निर्मित है, जिसमें 40677 लीचपिट के साथ निर्मित है, बिना लीचपिट के 10578 सपिटक टैंक निर्मित है, सपिटक टैंकों को निर्धारित समयान्तराल पर खाली करने हेतु जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डि—स्लजर वेण्डर का चिन्हांन किया गया है। जनपद नगर पालिका परिषद का 01 ही एस०टी०पी०/एफ०एस०टी०पी० उपलब्ध है, जिसके कारण अन्य सपिटक टैंकों से निकलने वाले फीकल स्लज के प्रबंधन हेतु चिन्हित ग्राम पंचायतों में **Trenching** का कार्य कराया गया है।

—:सामुदायिक शौचालय:—

जनपद की 1041 ग्राम पंचायतों में निर्मित कुल-1041 सामुदायिक शौचालय निर्मित है, जिसे महिला स्वयं सहायता समूह की केयरटेकर द्वारा संचालित किया जा रहा है, संचालन एवं रख-रखाव हेतु प्रति सामुदायिक शौचालय 90000 रु०/वर्ष की धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा दी जा रही है।

—:ग्रे—वाटर प्रबंधन:—

जनपद की 1041 ग्राम पंचायतों में ग्रे—वाटर प्रबंधन हेतु सामुदायिक सोक्ता गड्ढा/व्यक्तिगत सोक्ता गड्ढा एवं नालियों (खुलीनाली/भूमिगत नाली) तथा फिल्टर चैम्बर, सिल्ट केचर, डब्लू0एस0पी0 के माध्यम से कराया जा रहा है।

—:प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट:—

जनपद की 02 ग्राम पंचायतों में मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1746/2023-5/67/69/2023-SBM दिनांक 22 नवम्बर, 2023 के द्वारा निर्गत क्रेडिट लिमिट के माध्यम से प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट का निर्माण कराया जा चुका है। प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट का संचालन एवं रख-रखाव मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1746/2023-5/67/69/2023-SBM दिनांक 22 नवम्बर, 2023 में दी व्यवस्था के अनुरूप सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा चयनित स्वयं सहायता समूह को हैण्डओवर करते हुए समूह के केयर टेकर के माध्यम से प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट का संचालन एवं रख-रखाव कराया जाना प्रस्तावित है।

—:ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:—

जनपद की ग्राम पंचायतों में निर्मित कुल-765 आर०आर०सी० के संचालन का कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जा रहा है। आर०आर०सी० के संचालन हेतु तैनात मैनुपावर को प्रतिमाह मु०-6000/- की दर से ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

—:गोबरधन:—

जनपद की 02 ग्राम पंचायतों में मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1061/2022-5/25/2018 दिनांक 19 सितम्बर, 2022 के द्वारा गोबरधन योजनान्तर्गत बायोगैस प्लान्ट निर्माण हेतु सिद्धू बायोटेक के माध्यम से 45 घन मीटर की क्षमता का बायोगैस संयंत्र निर्मित हैं। बायोगैस संयंत्र का संचालन एवं रख-रखाव मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1061/2022-5/25/2018 दिनांक 19 सितम्बर, 2022 में दी व्यवस्था के अनुरूप सम्बन्धित इम्पैलनमेंट संस्था के माध्यम से निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि हेतु कराया जा रहा हैं। उक्त अवधि के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा चयनित स्वयं सहायता समूह को हैण्डओवर करते हुए समूह के केयर टेकर के माध्यम से बायोगैस संयंत्र का संचालन एवं रख-रखाव कराया जाना प्रस्तावित है।

—:फीकल स्लज प्रबंधन:—

जनपद की 1041 ग्राम पंचायतों में कुल—51344 सपिटक टैंक निर्मित है, जिसमें 40677 लीचपिट के साथ निर्मित है, बिना लीचपिट के 10578 सपिटक टैंक निर्मित है, सपिटक टैंकों को निर्धारित समयान्तराल पर खाली करने हेतु जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डि—स्लजर वेण्डर का चिन्हांन किया गया है। जनपद नगर पालिका परिषद का 01 ही एस०टी०पी०/एफ०एस०टी०पी० उपलब्ध है, जिसके कारण अन्य सपिटक टैंकों से निकलने वाले फीकल स्लज के प्रबंधन हेतु चिन्हित ग्राम पंचायतों में **Trenching** का कार्य कराया गया है।

—:सामुदायिक शौचालय:—

जनपद की 1041 ग्राम पंचायतों में निर्मित कुल-1041 सामुदायिक शौचालय निर्मित है, जिसे महिला स्वयं सहायता समूह की केयरटेकर द्वारा संचालित किया जा रहा है, संचालन एवं रख-रखाव हेतु प्रति सामुदायिक शौचालय 90000 रु०/वर्ष की धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा दी जा रही है।

—:ग्रे—वाटर प्रबंधन:—

जनपद की 1041 ग्राम पंचायतों में ग्रे—वाटर प्रबंधन हेतु सामुदायिक सोक्ता गड्ढा/व्यक्तिगत सोक्ता गड्ढा एवं नालियों (खुलीनाली/भूमिगत नाली) तथा फिल्टर चैम्बर, सिल्ट केचर, डब्लू0एस0पी0 के माध्यम से कराया जा रहा है।

—:प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट:—

जनपद की 02 ग्राम पंचायतों में मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1746/2023-5/67/69/2023-SBM दिनांक 22 नवम्बर, 2023 के द्वारा निर्गत क्रेडिट लिमिट के माध्यम से प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट का निर्माण कराया जा चुका है। प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट का संचालन एवं रख-रखाव मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1746/2023-5/67/69/2023-SBM दिनांक 22 नवम्बर, 2023 में दी व्यवस्था के अनुरूप सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा चयनित स्वयं सहायता समूह को हैण्डओवर करते हुए समूह के केयर टेकर के माध्यम से प्लास्टिक मैनेजमेण्ट यूनिट का संचालन एवं रख-रखाव कराया जाना प्रस्तावित है।

—:ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:—

जनपद की ग्राम पंचायतों में निर्मित कुल-765 आर०आर०सी० के संचालन का कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जा रहा है। आर०आर०सी० के संचालन हेतु तैनात मैनुपावर को प्रतिमाह मु०-6000/- की दर से ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

—:गोबरधन:—

जनपद की 02 ग्राम पंचायतों में मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1061/2022-5/25/2018 दिनांक 19 सितम्बर, 2022 के द्वारा गोबरधन योजनान्तर्गत बायोगैस प्लान्ट निर्माण हेतु सिद्धू बायोटेक के माध्यम से 45 घन मीटर की क्षमता का बायोगैस संयंत्र निर्मित हैं। बायोगैस संयंत्र का संचालन एवं रख-रखाव मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या-5/1061/2022-5/25/2018 दिनांक 19 सितम्बर, 2022 में दी व्यवस्था के अनुरूप सम्बन्धित इम्पैलनमेंट संस्था के माध्यम से निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि हेतु कराया जा रहा हैं। उक्त अवधि के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा चयनित स्वयं सहायता समूह को हैण्डओवर करते हुए समूह के केयर टेकर के माध्यम से बायोगैस संयंत्र का संचालन एवं रख-रखाव कराया जाना प्रस्तावित है।

—:फीकल स्लज प्रबंधन:—

जनपद की 1041 ग्राम पंचायतों में कुल—51344 सपिटक टैंक निर्मित है, जिसमें 40677 लीचपिट के साथ निर्मित है, बिना लीचपिट के 10578 सपिटक टैंक निर्मित है, सपिटक टैंकों को निर्धारित समयान्तराल पर खाली करने हेतु जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डि—स्लजर वेण्डर का चिन्हांन किया गया है। जनपद नगर पालिका परिषद का 01 ही एस०टी०पी०/एफ०एस०टी०पी० उपलब्ध है, जिसके कारण अन्य सपिटक टैंकों से निकलने वाले फीकल स्लज के प्रबंधन हेतु चिन्हित ग्राम पंचायतों में **Trenching** का कार्य कराया गया है।

—:सामुदायिक शौचालय:—

जनपद की 1041 ग्राम पंचायतों में निर्मित कुल-1041 सामुदायिक शौचालय निर्मित है, जिसे महिला स्वयं सहायता समूह की केयरटेकर द्वारा संचालित किया जा रहा है, संचालन एवं रख-रखाव हेतु प्रति सामुदायिक शौचालय 90000 रु०/वर्ष की धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा दी जा रही है।

—:ग्रे—वाटर प्रबंधन:—

जनपद की 1041 ग्राम पंचायतों में ग्रे—वाटर प्रबंधन हेतु सामुदायिक सोक्ता गड्ढा/व्यक्तिगत सोक्ता गड्ढा एवं नालियों (खुलीनाली/भूमिगत नाली) तथा फिल्टर चैम्बर, सिल्ट केचर, डब्लू0एस0पी0 के माध्यम से कराया जा रहा है।